

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**  
**मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर**

क्रमांक एफ-5-25/2020/10-2  
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 19/02/2021

**प्रधान मुख्य वन संरक्षक**

छ.ग. अरण्य भवन,  
सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,  
नवा रायपुर, अटल नगर।

**विषय:-** आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), रायपुर द्वारा मरवाही जिले के मरवाही वनमंडल अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 1.928 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

- संदर्भ:-** 1. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009।  
2. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004।  
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-822/1673, रायपुर दिनांक 14.09.2020 तथा पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-822/2342, रायपुर दिनांक 22.12.2020 एवं पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-822/292, रायपुर दिनांक 03.02.2021।

---000---

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिसमें प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति प्रदाय करने की अनुशांसा की गई है।

आपके प्रस्ताव पर भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000, पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009, पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 एवं पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विचारोपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न तालिका में दर्शित विवरण अनुसार :-

**तालिका**

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	गौरैला.पेंड्रा. मरवाही	मरवाही	मरवाही	ऐठी	संरक्षित वनभूमि	1984	373.618	0.5	0.019
2			मरवाही	ऐठी	संरक्षित वनभूमि	1985	817.715	0.5	0.041
3			मरवाही	ऐठी	संरक्षित वनभूमि	2024	854.619	0.5	0.042
4			मरवाही	ऐठी	संरक्षित वनभूमि	2062	238.49	0.5	0.012
5			मरवाही	धोबहर	संरक्षित वनभूमि	1971	217.175	0.5	0.011
6			मरवाही	धोबहर	संरक्षित वनभूमि	1973	1270.243	0.5	0.064
7			मरवाही	धोबहर	संरक्षित वनभूमि	1976	1022.078	0.5	0.051
8			मरवाही	घुसरिया	संरक्षित वनभूमि	2048	3457.404	0.5	0.173
9			मरवाही	घुसरिया	संरक्षित वनभूमि	2049	905.967	0.5	0.046
10			मरवाही	घुसरिया	संरक्षित वनभूमि	2050	89.29	0.5	0.005
11			मरवाही	बरईहा	संरक्षित वनभूमि	2082	413.994	0.5	0.021

*ngb*

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
12	गौरेला.पेंड्रा. मरवाही	मरवाही	मरवाही	बरगवां	संरक्षित वनभूमि	1992	679.58	0.5	0.034
13			मरवाही	बरगवां	संरक्षित वनभूमि	1993	241.866	0.5	0.012
14			मरवाही	बरगवां	संरक्षित वनभूमि	1994	84.455	0.5	0.004
15			मरवाही	बरगवां	संरक्षित वनभूमि	1995	820.541	0.5	0.041
16			मरवाही	बरगवां	संरक्षित वनभूमि	1996	730.144	0.5	0.037
17			मरवाही	बगड़ी	संरक्षित वनभूमि	1960	417.243	0.5	0.021
18			मरवाही	कुम्हारी	संरक्षित वनभूमि	2080	258.595	0.5	0.013
19			मरवाही	मठियाडांड	संरक्षित वनभूमि	2007	1605.257	0.5	0.080
20			मरवाही	महोरा	संरक्षित वनभूमि	2089	729.844	0.5	0.037
21			मरवाही	मरवाही	संरक्षित वनभूमि	2026	315.005	0.5	0.016
22			मरवाही	मरवाही	संरक्षित वनभूमि	2027	1901.561	0.5	0.095
23			मरवाही	मरवाही	संरक्षित वनभूमि	2077	919.782	0.5	0.046
24			मरवाही	झिरियाटोला	संरक्षित वनभूमि	2059	585.779	0.5	0.029
25			मरवाही	झिरियाटोला	संरक्षित वनभूमि	2066	567.829	0.5	0.028
26			मरवाही	सिवनी	संरक्षित वनभूमि	2039	503.592	0.5	0.025
27			मरवाही	पंडरी	संरक्षित वनभूमि	2043	442.378	0.5	0.022
28			मरवाही	पंडरी	संरक्षित वनभूमि	2047	1057.7	0.5	0.052
29			मरवाही	पथर्री	संरक्षित वनभूमि	2092	1116.606	0.5	0.055
30			मरवाही	समरदर्री	संरक्षित वनभूमि	2004	1015.043	0.5	0.051
31			मरवाही	समरदर्री	संरक्षित वनभूमि	2005	2016.642	0.5	0.101
32			मरवाही	साल्हेकोटा	संरक्षित वनभूमि	1990	1807.652	0.5	0.090
33			मरवाही	साल्हेकोटा	संरक्षित वनभूमि	2061	915.288	0.5	0.046
34			मरवाही	डोगरिया	संरक्षित वनभूमि	1961	1275.688	0.5	0.064
35			मरवाही	चुवाबाहरा	संरक्षित वनभूमि	2052	597.425	0.5	0.030
36			मरवाही	चुवाबाहरा	संरक्षित वनभूमि	2054	533.801	0.5	0.027
37			मरवाही	चुवाबाहरा	संरक्षित वनभूमि	2057	108.907	0.5	0.005
38			मरवाही	चुवाबाहरा	संरक्षित वनभूमि	2058	233.295	0.5	0.012
39			मरवाही	चुवाबाहरा	संरक्षित वनभूमि	2063	1011.68	0.5	0.050
40			मरवाही	चुवाबाहरा	संरक्षित वनभूमि	2067	1127.135	0.5	0.056
41			मरवाही	तौली	संरक्षित वनभूमि	1974	555.051	0.5	0.028
42			मरवाही	गुल्लीडांड	संरक्षित वनभूमि	1987	2148.402	0.5	0.107
43			मरवाही	लटकोनीखुर्द	संरक्षित वनभूमि	1967	231.961	0.5	0.012
44			मरवाही	लटकोनीखुर्द	संरक्षित वनभूमि	1968	284.435	0.5	0.014
<b>संरक्षित वन भूमि का योग</b>							<b>36500.755</b>	<b>0.5</b>	<b>1.825</b>
क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित भूमि का प्रकार	खसरा क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	गौरेला.पेंड्रा. मरवाही	मरवाही	मरवाही	बगड़ी	राजस्व वन	254	100.595	0.5	0.005
2			मरवाही	मसुरीखार	राजस्व वन	358/1	116.304	0.5	0.006
3			मरवाही	बगड़ी	राजस्व वन	438	222.522	0.5	0.011
4			मरवाही	दानीकुंडी	राजस्व वन	10/1	1199.215	0.5	0.060
5			मरवाही	मठियाडांड	राजस्व वन	179	83.092	0.5	0.004
6			मरवाही	कुम्हारी	राजस्व वन	212	119.207	0.5	0.006

गौरेला

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित भूमि का प्रकार	खसरा क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)	
7			मरवाही	सेखवा	राजस्व वन	1439/1	82.187	0.5	0.004	
8			मरवाही	सिवनी	राजस्व वन	1377	134.254	0.5	0.007	
राजस्व वन भूमि का योग								<b>2057.376</b>	<b>0.5</b>	<b>0.103</b>
कुल योग								<b>38558.131</b> <b>(38.558 K.M.)</b>	<b>0.5</b>	<b>1.928</b>

उक्त 38.558 कि.मी. लंबे तथा 0.50 मीटर चौड़े वन क्षेत्र कुल 1.928 हे. वन भूमि (संरक्षित वन भूमि 1.825 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.103 हे.) में भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर, छत्तीसगढ़ को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है :-

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।
2. प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जायेगा ।
3. ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे ।
4. उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी । वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुंचे, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में बिना मशीनों का उपयोग किये मजदूरों के द्वारा खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा ।
5. स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके ।
6. उपरोक्त लाईन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत ही बिछाई जावेगी ।
7. आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा ।
8. आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा ।
9. आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा ।
10. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।
11. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा ।
12. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित करेंगे ।

*Handwritten signature/initials*

13. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को निवेदन करेंगे।
14. क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।
- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) से उपरोक्त शर्तों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 के अंतर्गत औपचारिक अनुमोदन इस विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम  
से तथा आदेशानुसार,

*K. P. Rajput*  
18.2.21

(के.पी.राजपूत)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 19/02/2021

पृष्ठांक/एफ-5-25/2020/10-2

प्रतिलिपि :-

- 1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0), भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 2.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़।
- 3.मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर छत्तीसगढ़।
- 4.वनमंडलाधिकारी, मरवाही वनमंडल, छत्तीसगढ़।
- 5.आवेदनकर्ता, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

*K. P. Rajput*  
18.2.21

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

*o/c*